

राजस्थान-सरकार

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, सिरोही

क्रमांक/रसद/6 ए/2022/5105

दिनांक 17.01.2023

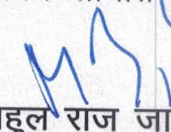
सार्वजनिक नीलामी सूचना

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जब्त निम्न सामग्री को माननीय जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही के निर्णय के क्रम में खुली बोली द्वारा जहां है जैसा है के आधार पर नीलामी कमेटी द्वारा निम्नलिखित स्थान पर प्रातः 11:00 बजे विक्रय किया जाना है। इच्छुक खरीददार निर्धारित बयाना राशि नगद अथवा जिला रसद अधिकारी, सिरोही के नाम से डीडी नीलामी समय से पूर्व जमा करवाकर नीलामी में भाग ले सकते हैं :-

प्रकरण संख्या	नाम वस्तु एवं मात्रा	न्यूनतम बोली	माल का अनुमानित मूल्य	बयाना राशि 2 प्रतिशत	नीलामी तिथि व स्थान
88/08.08.2015 निर्णय दिनांक 16.12.2020	2025 लीटर डीजल	93.04 रु प्रति लीटर	188406	3768	दिनांक 24.01.2023 पुलिस थाना, पालडी एम, तहसील शिवगंज
89/08.08.2015 निर्णय दिनांक 16.12.2020	199 लीटर डीजल	93.04 रु प्रति लीटर	18515	370	
36/08.04.2016 निर्णय दिनांक 10.04.2019	1005 लीटर डीजल	93.04 रु प्रति लीटर	93505	1870	
	132 लीटर पेट्रोल	106.67 रु प्रति लीटर	14080	282	
95/27.07.2017 निर्णय दिनांक 10.04.2019	364 लीटर डीजल	93.04 रु प्रति लीटर	33867	677	
114/11.09.2017 निर्णय दिनांक 10.04.2019	204 लीटर डीजल	93.04 रु प्रति लीटर	18980	380	
	33 लीटर पेट्रोल	106.67 रु प्रति लीटर	3520	70	
134/27.11.2018 निर्णय दिनांक 27.12.2018	270 लीटर डीजल	93.04 रु प्रति लीटर	25121	502	
09/11.01.2019 निर्णय दिनांक 22.01.2019	340 लीटर डीजल	93.04 रु प्रति लीटर	31634	633	
73/21.05.2020 निर्णय दिनांक 29.12.2021	3100 लीटर डीजल	93.04 रु प्रति लीटर	288424	5768	
	474 लीटर पेट्रोल	106.67 रु प्रति लीटर	50562	1011	
79/28.05.2020 निर्णय दिनांक 06.07.2020	33 लीटर डीजल	93.04 रु प्रति लीटर	3070	61	

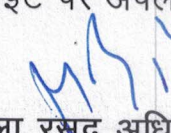
80 / 29.05.2020 निर्णय दिनांक 29.12.2021	79 लीटर डीजल	93.04 रु प्रति लीटर	7350	147	दिनांक 24.01.2023 पुलिस थाना, पालडी एम, तहसील शिवगंज
86 / 06.06.2020 निर्णय दिनांक 29.12.2021	82 लीटर डीजल	93.04 रु प्रति लीटर	7629	153	
141 / 01.09.2020 निर्णय दिनांक 29.12.2021	148 लीटर डीजल	93.04 रु प्रति लीटर	13770	275	
	66 लीटर पेट्रोल	106.67 रु प्रति लीटर	7040	141	

1. नीलामी की शर्तें विभाग की वेबसाईट <http://www.food.raj.nic.in> तथा <http://www.sppp.raj.nic.in> पर देखी जा सकती है एवं नीलामी की शर्तों को कार्यालय समय में जिला रसद कार्यालय, सिरौही में भी देखा जा सकता है।
2. नीलामी से संबंधित किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी कार्यालय समय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
3. नीलामी से संबंधित योग्य सामग्री का नमूना संबंधित पुलिस थाने में देखा जा सकता है।
4. पेट्रोलियम पदार्थ के अलावा अन्य सामग्री की दर उपापन समिति द्वारा मौके पर निर्धारित की जायेगी।


 राहुल राज जादौन
 (जिला रसद अधिकारी)
 सिरौही

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

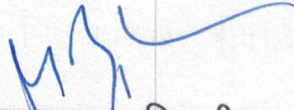
1. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, खाद्य विभाग, जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर।
3. श्रीमान् वित्तीय सलाहकार महोदय, खाद्य विभाग, जयपुर।
4. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, सिरौही।
5. तहसीलदार, शिवगंज।
6. श्री गजेन्द्र कुमार मेहरा, सहायक लेखा अधिकारी II, कोषाधिकारी, सिरौही।
7. प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय हाजा, सिरौही।
8. निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान प्रयोगशाला, सिरौही।
9. जिला बिक्री अधिकारी, आई.ओ.सी.एल., सिरौही।
10. थानाधिकारी पुलिस थाना, पालडी एम, तहसील शिवगंज को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि नीलामी के समय निर्धारित स्थान पर उपस्थित रहेंगे एवं नीलामी में रखा गया माल समिति को सुपुर्द करेंगे।
11. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, जयपुर को खाद्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।


 जिला रसद अधिकारी
 सिरौही

राजस्थान-सरकार
कार्यालय जिला रसद अधिकारी, सिरौही

नीलामी की अन्य शर्तें

1. नीलामी से पूर्व बोली दाता को निर्धारित धरोहर राशि जिला रसद कार्यालय, सिरौही के नाम से जारी ड्राफ्ट/बैंक चैक/नगद जमा करवानी होगी।
2. बोली से पूर्व बोली दाता पेट्रोलियम पदार्थ का नीलामी स्थल पर निरीक्षण कर सकता है।
3. नीलामी के सन्दर्भ में अन्य किसी से जानकारी एवं अन्य शर्तों हेतु जिला रसद अधिकारी कार्यालय, सिरौही में सम्पर्क कर सकते हैं।
4. नीलामी की सूचना विभाग की वेबसाईट <http://www.food.raj.nic.in> तथा <http://www.sppp.raj.nic.in> पर देखी जा सकती है।
5. बोलीदाता के पास विधि सम्मत अनुज्ञापत्र होना आवश्यक है।
6. राज्य सरकार/जिला कलक्टर द्वारा गठित कमेटी के समक्ष नीलामी की जावेगी।
7. उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में बोली छुटने पर बोलीदाता को कुल कीमत का 1/4 भाग राशि मौके पर ही जमा करवानी होगी तथा 3/4 राशि बोली स्वीकृति के तीन दिवस में जमा कवावाकर माल सुपुर्दगी पर प्राप्त करना होगा। सुपुर्दगी पत्र जारी होने के बाद तत्काल माल अपने कब्जे में लेना होगा निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं करवाने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
8. सफल बोलीदाता को केन्द्र/राज्य सरकार के नियमानुसार समस्त कर (आयकर/जीएसटी/वैट) इत्यादि जो भी हो देना होगा।
9. पेट्रोलियम पदार्थ उठाने तक का समस्त खर्चा (जहां पदार्थ पड़ा है) सफल बोलीदाता को वहन करना होगा।
10. किसी भी बोली को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार नीलामी कमेटी को होगा।
11. पेट्रोलियम पदार्थ खरीद के पश्चात बोलीदाता उक्त पदार्थ का विधि सम्मत प्रयोग करेगा एवं प्रयोग के पश्चात End Use Certificate जिला रसद अधिकारी, सिरौही को प्रस्तुत करना होगा।
12. न्याय क्षेत्र, सिरौही होगा।


जिला रसद अधिकारी
सिरौही